

प्रेषक,

के० के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

राजस्व अनुभाग-10

PM-MIS
4/08/10
(अजय जीहरी)
बजट विभाग जिलाधिकारी
राजस्व अनुभाग-10 शाहजहाँपुर

लखनऊ: दिनांक: 2 अगस्त 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में दैवी आपदा राहत कार्यो हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1389/1-10-2010-12(72)/2010, दिनांक 16.4.2010 द्वारा रू० 30,00,000/-की धनराशि आवंटित की गयी थी। आपके पत्र संख्या-85/सी०आर०ए०(आपदा), दिनांक 28.07.10 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने हेतु अग्रिम रूप से रू० 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में अब तक इस मद में जनपद को रू० 80.00 लाख की धनराशि उपलब्ध हो चुकी है।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03 -आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-जी०आई०-134/1-11-2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 तथा शासनादेश संख्या- जी०आई०-109/1-11-2009-46/97, दिनांक 7 अक्टूबर, 2009 (दैवी आपदा से पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट पक्का मकान हेतु राहत सहायता की धनराशि रू० 25000/- से बढ़ाकर रू० 35000/- प्रति मकान किया गया है), में जहाँ राहत प्रदान करने के लिये मानक निर्धारित हैं अर्थात् जहाँ राहत सहायता के वितरण हेतु धनराशि निर्धारित है, उन मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। लेकिन उन मदों में धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी, जिसमें निर्णय लेने हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति को अधिकृत किया गया है। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं- अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़,

10. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

के० के० सिन्हा
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या -2671(1)/1-10-2010-12(51)/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार- प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ कोइस अनुरोध के साथ कि इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त।
6. कोषाधिकारी, शाहजहाँपुर।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
8. समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11/ राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(श्रीश दुबे)
संयुक्त सचिव